सं.म.व्या. जिले
प्रति कि
समस्त संबंधि।
89
24/2/15
7-8r

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700447 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट 105412 जयपुर, दिनांक 24-02-2015

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला ......संबंधित ...जिले

विषय :–स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से प्रवेश हेतु नीति का निर्धारण कर दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाने बाबत।

संदर्भ :– परिषद का पूर्व पत्र कमांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/2844 दिनांक 12.07.2013 एवं 3262 दिनांक 10.09.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित कम में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित शामिल विवेकानन्द राजकीय विद्यालय संचालन हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त संशोधन करते हुए सत्र 2015–16 हेतु कक्षा 6 से 9 तक निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है:–

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है:–
   i. प्रथम वरीयता–संबंधित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक–बालिकाएं।
   ii. द्वितीय वरीयता–विकलांग बालक–बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
   iii. तृतीय वरीयता–बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाएं।
   iv. चतुर्थ वरीयता–बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
   v. पंचम वरीयता–नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
   vi. छठी वरीयता–नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014–15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र/छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत् प्रतिशत प्रवेश नवीन होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययरत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में शत् प्रतिशत नामांकन हो।
6. वरीयता एवं वरीयता में उल्लेखित क्रम से ही रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी, फिर भी अंत में आवश्यकता हुई तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।
7. प्रवेश समिति का संगठनात्मक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा जो निम्नानुसार है :–

i. मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य–अध्यक्ष
ii. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–सदस्य
iii. स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)–सदस्य
iv. मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य–सदस्य सचिव

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण–पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु संबंधित प्रमाण–पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।
9. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्तें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15)/शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं 21.08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होंगी।

(B) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से कक्षा 9 के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार होगी :–

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्शन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 8वीं परीक्षा में ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।
3. ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटे भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही सीटों पर प्रवेश हेतु ब्लॉक स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुनः जांच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में चयन के उपरांत भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट होगी।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
10. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान निम्नानुसार होगें:–
    i. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बारां जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाने वाली प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु –16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु –12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु –21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु– 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
    ii. टी.एस.पी. एरिया के संबंधित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदंडानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु –45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु –5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।
    iii. बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स् में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10

प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष, 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गो से भरी जायेगी।

iv. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटे छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटे निःशक्तजन के लिए आरक्षित होंगी।

v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती है, तो शेष सीटे उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निशःक्तजन उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र–छात्राओं से भरी जावेगी।

vi. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटो के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

11. प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया :–

i. प्रवेश परीक्षा में संबंधित ब्लॉक के राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

ii. प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया जायेगा।

iii. प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की होगी। समिति निम्नानुसार होगी :–

- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान– अध्यक्ष।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान– सदस्य।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान–सदस्य
- संस्था प्रधान–1 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (जिले के संचालित मॉडल स्कूल से)– सदस्य
- कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।

iv. प्रश्न पत्रों मे गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर वस्तुपरख प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अंकभार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र में हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होगें।

v. प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

vi. जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रकिया 01 अप्रैल तक पूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई मैरिट लिस्ट में से उपलब्ध रिक्तियों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

vii. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

viii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।

ix. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा करवाया जावेगा।

12. कक्षा 6 से 8 में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारित कलैण्डर

1. फरवरी का अंतिम सप्ताह –समाचर पत्रों/इलेक्ट्रोनिक माध्यम से विज्ञप्ति जारी किया जाना एवं प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार।
2. प्रवेश हेतु आवेद पत्र भरने की प्रकिया पूर्ण करना–5 मार्च से 10 मार्च, 2015
3. चयनित आवेदकों की सूची का निर्धारण –15 मार्च, 2015
4. प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना–20 मार्च, 2015
5. चयनित आवेदकों से प्रवेश पत्र भराया जाना–25 मार्च, 2015
6. कक्षा 6 से 8 का संचालन प्रारंभ किया जाना–1 अप्रेल, 2015

13. कक्षा 9 में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारित कलेण्डर

9. प्रवेश परीक्षा तिथि के व्यापक प्रचार– प्रसार हेतु विज्ञप्ति जारी किया जाना– 5 मार्च 2015
10. प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करना–10 मार्च 2015
11. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन लिया जाना–- 5 मार्च 2015 से 15 मार्च 2015 तक ।
12. प्रश्न पत्रों का मुद्रण प्रकाशन एवं वितरण– 20 मार्च 2015 ।
13. प्रवेश परीक्षा का आयोजन– 25 मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना ।
14. परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना– 30 मार्च 2015 तक ।
15. चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना– 5 अप्रैल 2015 तक।
16. 9वी कक्षा का संचालन प्रारम्भ– 15 अप्रैल 2015 तक।

उक्तानुसार कक्षा 6 से 9 के लिए शिक्षा सत्र 2015–16 से विद्यार्थियो का प्रवेश लिया जाना सुनिश्चित करे।

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉडल स्कूल / प्रवेश प्रक्रिया / 2015--16 दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समस्त...
7. संस्था प्रधान स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, ब्लॉक...... जिला......
8. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर